फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उमीया **बनाम** देवाराम वगैरह

किस्म मुकदमा .....225..... मुकदमा नंबर.....31/2023.....सन.....
.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.04.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर सायला द्वारा मुकदमा संख्या 04/2021 बउनवान देवाराम बनाम चूना वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 24.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण द्वारा करीबन 03 वर्षो से 21 बार अप्रार्थीगण के सम्मन पेश करने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु न्यायालय के आदेशो की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा सम्मन पेश नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 09, 10, 11, 16 कुल पांच पक्षकार स्थगन आदेश पारित होने से पूर्व ही फौत हो चुके है। उक्त पक्षकारो के कायम मुकाम को रेकर्ड पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लिये बिना मृतक पक्षकारो के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण अपीलांट की कब्जेकाश्त की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त फोटोप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 09, 10, 11, 16 कुल पांच पक्षकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय ही फौत हो चुके है। एवं उक्त पक्षकारो के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने बाबत कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ मे अंकित नहीं है। जैर अपील आदेश दिनांक 24.03.2023 को पारित किया गया है। उक्त दौरान उक्त पक्षकार फौत हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश मृतक पक्षकारो के विरूद्ध पारित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नहीं होता है अत सहायक कलक्टर सायला द्वारा मुकदमा संख्या 04/2021 बउनवान देवाराम बनाम चूना वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 24.03.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील जैर अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है प्रकरण से संबधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मे निर्णीत होगा। जिससे उक्त प्रकरण को हाजा न्यायालय के समक्ष मे विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः सहायक कलक्टर सायला को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन मुकदमा संख्या 04/2021 बउनवान देवाराम बनाम चूना वगैरा के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का पूर्ण अवसर देते हुए 01 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली